

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 82/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जम्हो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि) कार्यालय 102, कंघन अपार्टमेंट, एल बी एस कालेज के सामने तिलक नगर, जयपुर।
प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेन्द्र कुमार रेगर पुत्र श्री नालूराम
2. श्रीमती बिदानी देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार
पता :- रेगरो का नौहल्ला, कालाडेरा, तहसील चौनु, जिला जयपुर।
3. श्री कालू राम पुत्र श्री मूल चन्द
पता :- 490, रेगरो का नौहल्ला, कालाडेरा, तहसील चौनु, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.


उपस्थित:-

1. श्री मयानी सिंह नलका अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।
2. श्री बृजेन्द्र कुमार चौबे अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

आदेश

दिनांक 24.02.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.02.2016 को पुनर्मुग्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार रेगर पुत्र श्री नालूराम के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 33 ग्राम कालाडेरा, ग्राम पंचायत कालाडेरा, पंचायत समिति नोविन्दगढ़, जिला जयपुर क्षेत्रफल 1600 वर्गफिट को बन्धक रख कर कुल 04,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण मुग्तान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.11.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज मुग्तान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इनवाड उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी राजेन्द्र की ओर से दिनांक 06.01.2022 को अभिभाषक श्री वृजेश कुमार चौबे ने वकालतना पेश कर जवाब बहस हेतु समय चाहा है।
3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 24 अक्टूबर 2018 को क्रम संख्या 13 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. अप्रार्थी ने जबाब प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा है, किन्तु सरफेशी एक्ट की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारण किये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी को पूर्व में समय दिया जा चुका है। इसलिए अधिक समय नहीं दिया जा सकता है।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 04,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 6,19,715/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 02.11.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
7. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री राजेन्द्र कुमार रैगर पुत्र श्री मालूराम के स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा संख्या 33 ग्राम कालाडेरा, ग्राम पंचायत कालाडेरा, पंचायत समिति गोविन्दगढ, जिला जयपुर क्षेत्रफल 1600 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
8. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल हो।



आदेश आज दिनांक 24.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेश विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर